पत्रांक–1प्रा0आ0–51/2007......................./आ0प्र0

(10)

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

FAX

मनोज कुमार श्रीवास्तव,

आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

(बिहार)

पटना–15, दिनांक–

विषयः– बाढ़ राहत हेतु निजी नावों के भाड़ा एवं नाविकों की मजदूरी निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभिन्न बाढ़ प्रवण जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा बाढ़ के समय में निजी नावों की आवश्यकता एवं उसके भाड़ा के निर्धारण के समय में निदेश की मांग की जा रही है । उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पूर्व में विभागीय पत्रांक–920 दिनांक–23.06.95 (प्रतिसंलग्न) की कंडिका–3.3 द्वारा निदेश निर्गत किये गये थे ।

इस संबंध में निदेशित करना है कि प्रमंडलीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा कर अपने स्तर से कर प्रत्येक जिलों में गैर सरकारी (निजी) नावों (बड़ी एवं छोटी) के निर्धारित संख्या में रखने की अनुमति प्रदान करेंगे तथा नावों (बड़ी एवं छोटी) के दर का निर्धारण अपने प्रमंडल के सभी जिलों के लिये समान रूप से करेंगे ।

जहाँ तक निजी नाव के नाविकों की मजदूरी निर्धारण का प्रश्न है, इस संबंध में आवश्यक निदेश श्रमसंधान विभाग से स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त की जा रही है जिसे प्राप्ति के उपरांत शीघ्र संसूचित किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

ह0/–

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

आयुक्त एवं सचिव

FAX

ज्ञापांकः.......2272........./आ0प्र0 दिनांक–26-7-07

प्रतिलिपिः सभी जिला पदा0 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

आयुक्त एवं सचिव

26/7

(9)

पत्र संख्या- 1/प्रा0आ0-4-1 (नाव) 7/90 - 920/सा0पु0

बिहार सरकार,

साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

प्रेषक,

श्री एन0 के0 सिंह,

साहाय्य आयुक्त, बिहार।

सेवा में,

<u>सभी प्रमंडलीय आयुक्त,</u>

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक-23.06.95

विषयः- नाव एवं नाविकों की मजदूरी निर्धारण करने के संबंध में।

महाशय,

बाढ़ के समय गैर-सरकारी नावों एवं नाविकों की उपयोग से संबंधित मुद्दों, यथा नावों का भाड़ा, नाविकों की मजदूरी इत्यादि को लेकर जिलों से समय-समय पर जिज्ञाषाएँ की जाती रही हैं। विधान मंडल में भी इसके संबंध में प्रश्न होते रहे हैं।

2. बिहार अकाल-बाढ़-साहाय्य संहिता के नियम 191, 192, 193 एवं 194 में उपर्युक्त के संबंध में यथेष्ठ एवं आवश्यक अनुदेश अंकित हैं। विभागीय पत्रांक 3072, दिनांक 23.08.90 के द्वारा भी इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3. बाढ़ के समय नावों एवं नाविकों के उपयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर भली-भाँति विचार करने के बाद निदेशानुसार कहना है कि:

3.1. जैसा कि पूर्व में निदेशित है, बाढ़ के पहले ही, मई मास के आखिर तक, सरकारी नावों की उपलब्धता आँक कर आवश्यकतानुसार उनकी मरम्मति करा ली जाय। मरम्मति के लिए विहित प्रपत्र में उपलब्ध सरकारी नावों की संख्या, मरम्मति योग्य नावों की संख्या, प्रति नाव मरम्मति की दर और इस प्रकार मरम्मति पर आनेवाले कुल व्यय की राशि अंकित करते हुए निधि के लिए विभाग को प्रस्ताव दिये जाय ताकि आवंटन ससमय दिया जा सके।

3.2. जिला में बाढ़ से प्रायः प्रभावित होनेवाले क्षेत्रों को मद्देनजर रखते हुए, नावों की कुल आवश्यकता आँक ली जाए। कई बार सरकारी नावों से आवश्यकता पूरी नहीं होती। ऐसी स्थिति में निजी नाव भाड़े पर लेना लाजिमी हो जाता है। अतएव सरकारी नावों के अलावा जितनी गैर-सरकारी (निजी) नावों को भाड़े पर लेने की आवश्यकता हो, उसका अन्दाजा लगा लिया जाय और तदनुसार उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय। ससमय उन की अधियाचना भी कर ली जाय। अगर मरम्मति की आवश्यकता हो तो अधियाचित नावों के मालिकों से बाढ़ से पहले ही उनकी मरम्मत करा ली जाय ताकि बाढ़ के समय चालन के लिए तुरंत उपलब्ध हो सके।

Attested

26.7.95

3.3. गैर-सरकारी (निजी) नावों के आकार एवं भार-वहन क्षमता के आधार पर बड़ी नावों और छोटी नावों की दो श्रेणियों में नावों को रखा जाए और बड़ी एवं छोटी नावों की अलग-अलग प्रतिदिन की दर से भाड़ा निर्धारित किया जाए। प्रमंडल के सभी जिलों में नावों के भाड़े एकरूप हो, इसके लिए आवश्यक है कि भाड़े का प्रस्ताव जिलाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त को भेजें जो नावों के आकार, भार वहन क्षमता एवं स्थानीय प्राप्यता को ध्यान में रखते हुए भाड़ा की दर का अनुमोदन करेंगे।

3.4. नावों के आकार और भार वहन क्षमता को मद्देनजर रखते हुए चालन के लिए एक नाव पर कितने नाविक रखे जायेंगे, यह संख्या जिलाधिकारियों के प्रस्ताव पर प्रमंडलीय आयुक्त निर्धारित करेंगे ताकि इस संबंध में भी एकरूपता बनी रहे।

3.5. नाविकों की मजदूरी के निर्धारण के संबंध में जिलाधिकारी अपने प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त को भेजेंगे और प्रमंडलीय आयुक्त अनुमोदन करते समय यह ध्यान रखेंगे कि उनके क्षेत्र के सभी जिलों में एकरूप मजदूरी निर्धारित हो। मजदूरी का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/ अधिपोषित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार किया जाना चाहिए।

3.6. भाड़े पर ली गई गैर-सरकारी नावें का उपयोग सभी बाढ़ पीड़ितों के द्वारा किया जाना है, सिर्फ उसके मालिक द्वारा ही नहीं।

3.7. बाढ़ के समय उपयोग में आनेवाले नावें, सरकारी या गैर-सरकारी दोनों पर लाल झण्डा लमाया जाना चाहिए ताकि लोग पहचान सकें कि राज्य सरकार द्वारा उनके उपयोग के लिए प्रबोधित नाव हैं।

3.8. प्रखंड/ अंचल स्तर पर निजी नावों और नाविकों के लिए लौग-बुक संधारित किया जाए, जिसमें नावों एवं नाविकों की संख्या, अवधि जिसमें उनका उपयोग किया गया इत्यादि अंकित हो, जैसा कि पूर्व निदेशित है।

3.9. बाढ़ समाप्ति के बाद विहित-प्रपत्र में अद्यतन प्रतिवेदन दिया जाय जिसमें बाढ़ में उपयोग में लाई गई नावों एवं नाविकों की संख्या, अवधि, नावों के कुल भाड़े और नाविकों की कुल मजदूरी का पूरा विवरण हो ताकि सरकार द्वारा यथेष्ठ राशि समय पर उपलब्ध कराने में सुविधा हो और बकाया की नौबत न आवे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(एन0 के0 सिंह)

साहाय्य आयुक्त, बिहार।